भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं0 93

27 जून,2019 को उत्तर के लिए

ubZ tu ifjogu iz.kkyh&,yvkjVh&esVªksykbV

93* Mkñ Jhdkar ,dukFk f'kans#
Jh Jhjax vIik ckj.ks#

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार टियर–II और टियर–III शहरों के लिए नई जन परिवहन प्रणाली–एलआरटी–मेट्रोलाइट लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में उक्त प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए चयनित टियर–II और टियर–III शहरों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने मेट्रोलाइट के लिए मानक तथा विशेष विवरणों को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

<u>विवरण</u>

“ubl tu ifjogu i.kkyh&,yvkjVh&eVkykbV” के संबंध में दिनांक 27.06.2019 के लिए डॉ. श्रीकान्त एकनाथ शिंदे और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93* के भाग (क)से(ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

*****

(क)से(ड.): शहरी परिवहन, जो शहरी विकास का अभिन्न अंग है, राज्य का विषय है । अतः, संबंधित राज्य सरकारें/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) मेट्रो रेल सहित शहरी परिवहन अवसंरचना की आयोजना एवं विकास के लिए उत्तरदायी हैं । जब कभी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं तो केन्द्र सरकार प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरों अथवा शहरी समूहों में मेट्रो रेल प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है ।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जन परिवहन प्रणाली के मुख्य साधन के रूप में यात्रियों की कम आवाजाही को देखते हुए शहरों द्वारा अपनाए जाने वाली मेट्रोलाइट नामक हल्की शहरी रेल परिवहन प्रणाली हेतु विनिर्देशों के मानकीकरण का कार्य शुरू किया है । मानक विनिर्देशों को अंतिम रूप देने हेतु हितधाकरों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है । उचित प्रक्रिया का अनुपालन तथा सक्षम निकाय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विनिर्देश जारी किए जाते हैं ।

****